

कुरुबा समुदाय: कर्नाटक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक में कुरुबा समुदाय द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में समुदाय के लोगों द्वारा राज्य सरकार से मांग की गई कि राज्य सरकार कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को अपनी संसतुति भेजे।

प्रमुख बटु:

पृष्ठभूमि:

- देश की स्वतंत्रता के बाद से ही कुरुबा समुदाय को एसटी का दर्जा प्राप्त था। परंतु वर्ष 1977 में पछिड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एल.जी. हावनूर ने कुरुबा समुदाय को एसटी सूची से 'अतिपछिड़ा वर्ग' की श्रेणी शामिल कर दिया।
- हालांकि आयोग ने इसमें एक क्षेत्र विशेष की शर्त भी जोड़ दी और कहा कि बीदर, यादगीर, कालाबुरागी तथा मदकिरी क्षेत्र में कुरुबा समानार्थी शब्द के साथ रहने वाले लोग एसटी श्रेणी का लाभ उठा सकते हैं।

कुरुबा समुदाय का संक्षिप्त परिचय:

- कर्नाटक का कुरुबा समुदाय एक पारंपरिक भेड़ पालक समुदाय है।
- वर्तमान में कुरुबा समुदाय की जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का 9.3% है और ये पछिड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं।
- कुरुबा कर्नाटक में लगायत, वोककालगि और मुसलमानों के बाद चौथी सबसे बड़ी जाति है।
- अन्य राज्यों में कुरुबा को अलग-अलग नामों से जाना जाता है - जैसे महाराष्ट्र में धनगर, गुजरात में रबारी या राईका, राजस्थान में देवासी और हरियाणा में गडरिया।

संबंधित मुद्दे:

- लगायत समुदाय की मांगें:** तीन वर्ष पहले कर्नाटक में लगायत समुदाय ने एक अलग अल्पसंख्यक धर्म के रूप में मान्यता दी जाने की मांग की थी।
 - लगायत उप-पंथ पंचमासाली से जुड़े लोगों ने भी अपने समुदाय को पछिड़ा वर्ग की 2A श्रेणी में शामिल कराने की मांग की है, जिसके तहत पछिड़ी जातियों को वर्तमान में 15% आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास आयोग:**
 - न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास आयोग का गठन एससी समुदाय के लिये मौजूदा आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% करने और एसटी के लिये इसे 3% से 7% तक कराने की प्रक्रिया की नगिरानी के लिये किया गया था जिससे उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1992 के नरिणय के अनुसार, यह कुल 50% आरक्षण कोटे से अधिक न होने पाए।
 - अगर कुरुबा को उनकी मांग के अनुसार एसटी घोषित किया जाता है, तो एसटी कोटे को भी अनुपातिक रूप से बढ़ाना होगा।
- चुनौतियाँ:**
 - सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कर्नाटक राज्य पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारित आरक्षण की 50% सीमा तक पहुँच चुका है और इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि एक बड़ी चुनौती होगी।

कर्नाटक में वर्तमान आरक्षण कोटा:

- कर्नाटक ने सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 1992 के आदेश का पालन करते हुए आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया है, इसके तहत पछिड़े वर्गों के लिये 32% आरक्षण नरिधारित है, जिनमें मुसलमि, ईसाई और जैन शामिल हैं, एससी के लिये 15% और एसटी के लिये 3% आरक्षण नरिधारित है।
- इस आरक्षण कोटे को आगे कई श्रेणियों में विभाजित किया गया है: श्रेणी 1 (4%), श्रेणी 2 ए (15%), श्रेणी 2 बी (4%), श्रेणी 3 ए (4%), श्रेणी 3 बी (5%), एससी (15%) और एसटी (3%)।

CURRENT MATRIX IN KARNATAKA

● SC: 15%

● ST: 3%

● Category 1: 4%
(75 castes, including
Gollas, Uppars)

● 2A: 15% (102
castes, including
Kurubas, Idigas,
Madiwals)



Source: Karnataka govt

● 2B: 4%
(Muslims and
other minorities)

● 3A: 4% (12
castes, including
Vokkaligas,
Bunts)

● 3B: 5%
(Lingayats and
42 sub-castes)

अनुसूचति जनजातः

परचियः

- अनुच्छेद 366 (25): अनुसूचति जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हस्सिों या समूहों से है, जिन्हें भारतीय संवधान के प्रयोजन के लिये अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचति जनजात माना जाता है।”
- अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचति जनजातियों वे समुदाय हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना या संसद द्वारा वधायी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचति जनजात के रूप में घोषति कथिा गया है।
- अनुसूचति जनजातियों की सूची राज्य/केंद्रशासति प्रदेश से संबंधति होती है, ऐसे में एक राज्य में अनुसूचति जनजात के रूप में घोषति एक समुदाय को दूसरे राज्य में भी यह दर्जा प्राप्त होना अनविर्य नहीं है।

मौलिक वशिषताएँ:

- कसिी समुदाय को एक अनुसूचति जनजात के रूप में नामति कथिे जाने के मानदंडों के संदर्भ में संवधान में कोई वशिष जानकारी नहीं दी गई है। हालाँकि अनुसूचति जनजात समुदायों को अन्य समुदायों से अलग करने वाले कुछ लक्षण नमिनलखति हैं:
 - पछिड़ापन/आदमिता (Primitiveness)
 - भौगोलिक अलगाव (Geographical Isolation)
 - संकोची स्वभाव (Shyness)
 - सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पछिड़ापन।

वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह

(Particularly Vulnerable Tribal Groups -PVTG)

- देश में कुछ ऐसी जनजातियाँ (कुल ज्ञात 75) हैं जिन्हें 'वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups -PVTG) के रूप में जाना जाता है, इन समूहों को (i) पूरव-कृषि स्तर की प्रौद्योगिकी, (ii) स्थिरि या घटती जनसंख्या, (iii) बेहद कम साक्षरता और (iv) आर्थिक नरिवाह स्तर के आधार पर वर्गीकृत कथिा जाता है।

स्रोतः द हट्टि